

स्वायत्त उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिबिर 2025 कैम्प स्थल - खुम्बाजा)

धारा अन्तर्गत - 136 प्र.सं. ५२९/२५ तार दिनांक ०२/१०/२५ निर्णय दिनांक ०२/१०/२५



क्र.म.	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक/2025-26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।	वर्तमान प्रविष्टि	शुद्ध प्रविष्टि	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	<u>खुम्बाजा</u>	<u>२५८</u>		वर्तमान प्रविष्टि <u>बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक</u>	शुद्ध प्रविष्टि <u>राजस्थान बैंक</u> <u>ग्रामीण बैंक</u>	तहसीलदार कपासन की अनुशांषा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>खुम्बाजा</u> प.हं <u>खुम्बाजा</u> खातासं. <u>२५८</u> में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।	
	हस्ताक्षर पटवारी	हस्ताक्षर गिरदावर	हस्ताक्षर व मंजूर तहसीलदार	पदेन सहायक कलक्टर कपासन			

तहसीलदार (प.अ.)
कपासन जिला - चितौड़गढ

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला - चितौड़गढ